प्रेषक

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में

मुख्य विकास अधिकारी
हरदोई, गाजीपुर व मथुरा,
उ0प्र0

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 19 जुलाई, 2016**

विषय- विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-2017 की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मा0 विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक में विकास कार्य कराने हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 7560000000.00/-(रूपये सात अरब छप्पन करोड मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-26/2016/226/अड़तीस-9-2016-06(बजट)/2015, दिनांक-12.05.2016 एवं इसके संशोधन विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-34/2016/234/अड़तीस-9-2016-06(बजट)/2015, दिनांक-06.06.2016 व कार्यालय ज्ञाप संख्या-38/2016/303/अड़तीस-9-16-06(बजट)/15, दिनांक-08.07.2016 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 3,64,87,15,958.00 (रूपये तीन अरब चौसठ करोड़ सत्तासी लाख पन्द्रह हजार नौ सौ अठ्ठावन मात्र) तथा शासनादेश संख्या-35/2016/298/अड़तीस-9-16-06(बजट)/15, दिनांक-21.06.2016 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 1,50,00,000.00 (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) के उपरान्त अवशेष धनराशि में से दिनांक-27.05.2016 से निर्वाचित विधान परिषद के मनोनीत तीन मा0 सदस्यों की सूचना तथा आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-जी0ओ0-42/कार्यक्रम अनुभाग/वि0नि0/2016, दिनांक-03.05.2016 से प्राप्त सूचना के आलोक में संलग्न सूची 'ब' में मा0 विधान परिषद के 03 सदस्यगण डा0 राजपाल कश्यप, श्री अरविन्द कुमार व डा0 संजय लाठर हेतु प्रति सदस्य रू0 75,00,000.00 (रूपये पचहत्तर लाख मात्र) की दर से कुल रू0 2,25,00,000.00 (रूपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के वैयक्तिक लेखा खाता में जमा की जायेगी। इस धनराशि का व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के मार्गदर्शी सिद्वान्तों में उल्लिखित व्यवस्था/प्राविधानों तथा इस निमित्त समय-समय पर जारी शासनादेश के अनुसार ही किया जायेगा।

(2)- सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि की जानकारी तथा शासनादेश की प्रतिलिपि अपने-अपने सम्बन्धित मा0 विधान सभा सदस्यों को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3)- शासनादेश संख्या-107/अड़तीस-9-2015-500(1)/2015, दिनांक-09 मार्च, 2015 द्वारा वांछित प्रदेश के अन्य जनपदों से रिक्तियों/अप्रयुक्त अवशेष धनराशि की सूचना पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही दूसरी किश्त निर्गत की जा सकेंगी।

(4)- यदि किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का स्थान रिक्त है, तो उस क्षेत्र की धनराशि कोषागार से आहरित नहीं की जायेगी और इसकी सूचना शासन को तत्काल दी जायेगी।

(5)- इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/ 2016, दिनांक-22-03-2016 में किये गये प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक- "4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-विधायक निधि-42-अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/ 2016, दिनांक-22-03-2016 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव ।

संख्या-39/2016/ 316(1) /अइतीस-9-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
4- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6- निजी सचिव, मा0 सभापति, विधान परिषद, उ0प्र0।
7- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
9- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
10- जिलाधिकारी, हरदोई, गाजीपुर व मथुरा, उ0प्र0।
11- कोषाधिकारी, हरदोई, गाजीपुर व मथुरा, उ0प्र0।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
13- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3/ गार्डबुक।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-39/2016/ 316/अड्तीस-9-2016-06(बजट)/2015, दिनांक-19 जुलाई, 2016 का संलग्नक विधान परिषद के मा0 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र के जनपदों को आवंटित धनराशि की सूची "ब"

क्र0सं0	विधान परिषद सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	नोडल जनपद का नाम	अवमुक्त धनराशि (लाख रूपये में)
1.	डा0 राजपाल कश्यप	मनोनीत	हरदोई	75.00
2.	श्री अरविन्द कुमार	मनोनीत	गाजीपुर	75.00
3.	डा0 संजय लाठर	मनोनीत	मथुरा	75.00
योग-				**225.00**

(कुल रूपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र)

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।